न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/625

चतुर्भुज आत्मज मनोहर जी जाति बारेठ निवासी बलकासा देवनारायण मंदिर के पास तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. धनराज आत्मज चतुर्भुज ।
2. कलावती पुत्री चतुर्भुज जाति बारेठ निवासीगण नरपत खेडी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम परपतखेडी तहसील दीगोद जिला कोटा में प्रतिवादी क्रम 1 के पिता व दादा के खाता नम्बर 29 पर खसरा नम्बर 171 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.26 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 2.06 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि वादीगण के दादा की पुश्तैनी भूमि होने के कारण उक्त भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 के साथ वादीगण अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं । वादीगण अपने दादा के खाते की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । प्रतिवादी क्रम 1 की शादी वादीगण की माता बादाम बाई के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुई थी । शादी के कुछ साल बाद बादाम बाई ने दो सन्तानों को जन्म दिया किन्तु उसके

बाद प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण की मॉ बादाम बाई के होते हुए दूसरी औरत कर ली । वादीगण की माता की मृत्यु हो जाने के बाद वादीगण को उनकी ताई ने पाला पोषा । प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण की पुश्तैनी भूमि को बेचान करके सीताबाई जो प्रतिवादी क्रम 1 की अवैधानिक पत्नी है उसके नाम कराना चाहते हैं । प्रतिवादी क्रम 1 उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है और वह अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में से वादीगण के 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादीगण के हिस्से की भूमि का पृथक से खाता व लगान कायम किया जावे तथा विभाजन में प्राप्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2018 के द्वारा दावा वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 22.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री एकतरफा है केवल वाद के आधार पर लोक अदालत में ही दावा डिक्री कर दिया । वादीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और न ही कोई गवाहान प्रस्तुत किये तथा वादीगण स्वयं भी नहीं बता पाये कि उक्त भूमि किस प्रकार से पुश्तैनी है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का प्रतिवादी क्रम 1 के साथ बराबर का हिस्सा मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के वाद के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना साक्ष्य लिये बिना व प्रतिवादीगण को जवाबदेही का अवसर दिये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है । लोक अदालत में पक्षकारान की सहमति के आधार पर ही लोक अदालत की भावना के अनुरूप वाद का निस्तारण किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2018 निरस्त फरमाई जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट को सूचना दिये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित की है । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.12.2018 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादी को सूचना दिये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । वादीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है । वादीगण यह सिद्ध नहीं कर पाये हैं कि आराजी पुश्तैनी है । तनकी कायम किये बिना साक्ष्य लिये बिना, जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण चतुर्भुज की संतान थी। वादग्रस्त आराजी में उनका 1/2 हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से दावा वादी स्वीकार करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अप्रने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण उपस्थित हुए हैं, प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए वादीगण को 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया है । प्रतिवादीगण अपीलान्ट की न तो तलबी हुई है और न ही उन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक एवं सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एंव जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2018 निरस्त किया जाता है । *प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण*

अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए, सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.05.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 09.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा